जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1547

दिनांक : 28/2/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **VIKRANT INST.OF INTEGRATED LEARNING AND ADVANCE STUDIES, GWALIOR** को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित **B.B.A., B.COM., B.C.A. पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. परिनियम 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्तियाँ जो 2010 में बी.बी.ए., बी.सी.ए./बी.कॉम में हुई है उनमें 02 वर्ष की शर्तें Ph.d./NET/SLET की उपाधि certificate प्राप्त करने/ पास करने की लगी है। उपरोक्त विषयों में नियुक्त जिन शिक्षकों ने दो वर्ष के अन्दर Ph.d/NET/SLET उत्तीर्ण नहीं किया है उनकी सूचना विश्वविद्यालय प्रेषित की जावें एवं उनके स्थान पर तीन माह के अन्दर शिक्षकों की नियुक्तियाँ कर वि.वि. को सूचित करें।
2. परिनियम 28 के अन्तर्गत प्राचार्य की नियुक्ति की जावें।
3. परिनियम 27, 28 का पालन करना सुनिश्चित किया जावें।
4. 50,000/- रुपये की नवीन पुस्तकें क्रय की जावें।

आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **VIKRANT INST.OF INTEGRATED LEARNING AND ADVANCE STUDIES, GWALIOR.**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 1478

दिनांक : 28/2/14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार **विकांत ऐज्यूकेशनल इंटीग्रेटेड लर्निंग एण्ड एडवांस स्टडीज रतवाई, ग्वालियर को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित//संचालित पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. पाठ्यकम से सम्बंधित 50,000/- रूपयें मूल्य की पुस्तकें और कय की जाए।
2. लीगल सोफ्टवेयर कय किया जाए।
3. बढ़ी हुई छात्र संख्या को देखते हुये उचित योग्यताधारी अध्यापकों की समुचित संख्या में नियुक्ति की जाए उक्त शर्तो के परिपालन की प्रत्याशा में संस्था को पी. जी.डी.सी.ए. में 240 (दो सौ चालीस) स्थानों पर प्रवेश देने की अनुशंसा यह निरीक्षण समिति करती है।

आदेशानुसार
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, विकांत ऐज्यूकेशनल इंटीग्रेटेड लर्निंग एण्ड एडवांस स्टडीज रतवाई, ग्वालियर ।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)